अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

अशोक कुमार बनाम झालूराम वगै0

किस्म मुकदमा–दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती नक्शा स्थायी निषे0

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

मु0नं0–32/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के निवेदन पर बहस दावा सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 3963/1515 रकबा 0.2950 है0 वाके रामा गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। खसरा नम्बर 3962/1515 रकबा 0.1950 है0 की खातेदारी वादी संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। यह है कि उक्त भूमि के पूर्व के खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.5800 है0 रहे है। यह है कि वादपत्र में वर्णित भूमि मुतदाविया का नक्शा शीट ग्राम गीजगढ के खसरा नम्बर 1074 था जिसका सह खातेदारान का कब्जा के अनुसार तरमीम नहीं थी ना ही बांदीकुई से गंगापुर जाने वाली सडक की नक्शे में तरमीम हुई थी दौराने सैटलमेण्ट आराजी साबिक खसरा नम्बर 1074 का नवीन नक्शा बनाते समय सम्पूर्ण खसरा 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 में सडक दर्शित की गई है। सैटलमेण्ट के दौरान आराजी खसरा नम्बर 1074 के खातेदारान के कब्जेकाश्त के अनुसार एवं मौका स्थिति अनुसार एवं मौका स्थिति के अनुसार सैटलमेण्ट कर्मियों द्वारा तरमीम नही कर घोर लापरवाही एवं मध्यान्ति पूर्वक विधि विरूद्ध तहरीर की गयी थी, वादीगण की भूमि जो कि खरीद के समय से ही सडक के लगते हुए है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि जो कि खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.14 है0 है की तरमीम सडक से लगते हुए खसरा नम्बर 1513 एवं 1515 में वादीगण के कब्जेकाश्त के स्थान पर कर दी जो कि गलत है। उक्त गलत तरमीम की आड में प्रतिवादी वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की तरमीम मुताबिक वादीगण के कब्जेकाश्त अनुसार की जावे, साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस नजरी नक्शा पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान कब्जेकाश्त की स्थिति पेश नजरी नक्शे अनुसार है इसलिए मुताबिक नजरी नक्शा जो दौराने बहस पेश किया गया है उसके अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विवादित भूमि की तरमीम मौका अनुसार नहीं है इसलिए विवादित भूमि की तरमीम मौका अनुसार किए जाने हेतू सहमत है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के अभिवचनों पर गौर किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं उभयपक्षों के अभिवचनों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका कब्जानुसार नहीं है। तहसीलदार सिकराय द्वारा भी न्यायालय आदेश की पालना में पत्रांक भू0अ0/2024/2147	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रकरण मे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके साथ संलग्न मौका पर्चा एवं संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि की तरमीम मौका अनुसार नहीं है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की तरमीम मौकानुसार किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर ग्राम गीजगढ की भूमि खसरा नम्बर 3963/1515, 3962/1515 एवं 1514 की तरमीम मुताबिक मौका कब्जानुसार(वादी अधिवक्ता द्वारा पेश नजरी नक्शा दिनांक 05.08.2024 अनुसार) किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। खसरा नम्बर 3963/1515, 3962/1515 एवं 1514 की तरमीम मौकाकब्जानुसार पृथक पृथक की जावें। इस आशय की डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)